

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- 7 / अ०प्र०-०१-०२ / २०२२ 3596 पटना, दिनांक ०३।७।२४
प्रेषक,

फातेह फैयाज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
सेवा में,

विशेष सचिव,
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव,
सभी मुख्य अभियंता,
सभी संयुक्त सचिव,
सभी उप सचिव,
सभी अवर सचिव,
सभी प्रशाखा पदाधिकारी,
सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- Court Case Monitoring System (CCMS) के Dashboard पर अपने कार्यालय से संबंधित वादों को Upload करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के विभागों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सभी प्रकार के वादों के लिए Court Case Monitoring System (CCMS) लागू है, जिसमें सरकार से संबंधित सभी न्यायिक वादों की वाद पत्र/याचिका (Plaint/Writ) की प्रति उपलब्ध कराई जाती है।

Court Case Monitoring System (CCMS) के Dashboard पर अपने कार्यालय से संबंधित वादों को Upload किया जाना है। इस संबंध में National Informatics Centre (NIC) के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक-04.07.2024 के अपराह्न 3:00 से 4:00 बजे तक विश्वेश्वरैया भवन के पांचवें तल पर अवस्थित विभागीय सभागार में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त निर्धारित प्रशिक्षण में अपने आईटी० प्रबंधक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ भाग लेने की कृपा की जाय।

विश्वेश्वरैया
F. S. M.

(फातेह फैयाज)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-7 / अ०प्र०-०१-०२ / २०२२ ३५९६ पटना, दिनांक ०३।७।२४

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / श्री अभिषेक कुमार उपनिदेशक (आई०टी०) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-7 / अ०प्र०-०१-०२ / २०२२ ३५९६ पटना, दिनांक ०३।७।२४

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी-१२ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-7 / अ०प्र०-०१-०२ / २०२२ ३५९६ पटना, दिनांक ०३।७।२४

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को e-mail के माध्यम से पत्र भेजते हुये विभागीय बेबसाइट पर Upload करना सुनिश्चित करें ।

सरकार के संयुक्त सचिव